न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 44 / 2024

अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. भादरराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. मूलाराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रूपराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. रामेश्वरी पुत्री जोतराम पत्नी रजीराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मामकोरी उर्फ अनिता पुत्री जोतराम पत्नी आईदान जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर

असल गैरसायल

7. बंशीलाल पुत्र गोमन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक सायलान
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता गेरसायलान

निर्णय दिनांक : 19/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 के0एम के खाता संख्या 16 / 13 के प0न0 218 / 400(30) के किला न0 13 / 1 की 0.1270हैक किला न0 14 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23 ,24 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.8980हैक भूमि स्थित है जिसके सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 49 / 22 के प0न0 218 / 399(16) के किला न0 21 / 2 की 0.2270हैक 22 / 2 की 0.2270हैक 23 / 2 की 0.2270 ,24 / 2 की 0.2270हैक प0न0 218 / 400(30) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 10 कुल 2.9320हैक भूमि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 1 / 5 हिस्से के खातदेार काश्तकार है।

प्रार्थीगण अपने गांव थालडका से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ते से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की भूमि के प0न0 218 / 400 (30) के किला न0 4 व 7 के पश्चिम साईड से उतर से दक्षिण से होकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश करते है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सीधा रास्ता है प्राथीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

उक्त रास्ता से सायलान हमेशा से आवागमन करते आ रहे है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज नही है जिससे गैरसायलान कभी भी रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होते है और सायलान अपनी भूमि में जाने से वंचित हो जाते है इसलिये रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 16/13 के प0न0 218/400(30) के किला न0 4 व 7 प्रत्येक के पश्चिम साईड में उतर से दक्षिण एक –एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 4 ,5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा गेरसायल संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायलान ने गैरसायलान की भूमि के दो टुकडे करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायलान ने किला न0 4 ,7 में रास्ता चाहा गया है जो गैरसालयान की भूमि के बीचों बीच है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार भी रास्ता अनुचित अंकित किया गया है सायलान अपने परिजनों के खेत में आवागमन करते आ रहे है कभी भी सायलान की भूमि में से आवागमन नही रहा है गैरसायलान ने अपनी भूमि का काफी मेहनत करके उपजाउ बनाई गई है खाद मिटटी डालकार मेहनत से समतल उपजाउ बनाया गया है जिसमें काफी धन व पेशा खर्च हुआ है अगर उक्त भूमि में रास्ता दिया जाता है तो उतरदाता को काफी नुकसान होता है सायलान की भूमि उपजाउ नही है सायलान को यदि रास्ता दिया जाता है तो गेरसायलान को रास्त में आने वाली भूमि के बदले दुगनी भूमि दिलवाई जावे जिससे गेरसायलान की भरपाई हो सके अतयन्त आवश्यकता के बिना रास्ता की मांग की गई है जो न्यायोचित नही है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान/प्रार्थीगण अपने गांव थालडका से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ते से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की भूमि के प0न0 218/400 (30) के किला न0 4 व 7 के पश्चिम साईड में उत्तर से दक्षिण से होकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश करते है यही उनका सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है प्राथीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहता है।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

करने गेरसायलान की भूमि के दो टुकडे हो जाते है जिससे गेरसायलान को काश्त करने में परेशानी होगी सायलान अपनी परिजनों के खेत में से हमेशा से आवागमन करते आ रहे हे उक्त रास्ता से सायलान ने कभी भी आवगमन नही किया गया है गैरसायलान ने अपनी भूमि को काफी मेहनत व पैशा खर्च कर उपजाउ बनाया गया है जबकि सायलान की भूमि कम उपजाउ है सायलान को यदि रास्ता दिया जाना आवयश्क हो तो रास्ते की भूमि के बदले में दुगनी भूमि दिलवाई जावे सायलान ने केवल गेरसायलान को परेशान करने की नियम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 5 के0एम के खाता संख्या 16/13 के प0न0 218/400(30) के किला न0 13/1 की 0.1270हैक किला न0 14 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23 ,24 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.8980हैक भूमि स्थित है जिसके सायलान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 5 केएम के खाता संख्या 49/22 के प0न0 218/399(16) के किला न0 21/2 की 0.2270हैक 22/2 की 0.2270हैक 23/2 की 0.2270 ,24/2 की 0.2270हैक प0न0 218/400(30) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 10 कुल 2.9320हैक भूमि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातदेार काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से साबित है।

सायलान का कथन है कि उसे अपनी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत रास्ते से आगे स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये किला न0 4 ,7 में रास्ता स्वीकृत फरमावे गैरसायलान का विरोध है कि उसकी भूमि के दो टुकडे हो जाते है सायलान रास्ता पाने का अधिकारी नही है गैरसायलान का कथन विधि सम्मन नही है जबकि सायलान का कथन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मोजा चक 5 के एम के मु0न0 16 के किला न0 231/1 ,22/1 ,23/1 ,24/1 ,25/1 प्रत्येक में दो दो बिश्वा रास्ता स्वीकृत है तथा मौके पर चालू है जिससे काश्तकारो का आवागमन हो रहा है।

गैरसायलान की भूमि मु0न0 30 में स्थित है तथा इसी मुरब्बा में सायलान की भूमि भी है अर्थात दोनो एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है सायलान की भूमि व स्वीकृत रास्ता के मध्य गैरसायलान की भूमि है सायलान के द्वारा अपनी भूमि में जाने के लिये गेरसायलान के किला न0 4 ,7 में से रास्ता चाहा गया है कि सायलान को उनकी भूमि में आवागमन [illegible] पूर्वी दिशा में दिया जाना विधि सम्मत है जिससे गैरसायलान [illegible] नही होगे गैरसायलान की भूमि के एक छोर पर रास्ता उपयुक्त [illegible] नक्शा से प्रमाणित होता है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि गेरसाय[illegible] का कथन है कि उसने अपनी भूमि को काफी मेहनत पेशा खर्च कर सायलान की भूमि की तुलना में अधिक उपजाउ

..3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested

बनाया गया है यदि रास्ता दिया जाना आवश्यक हो तो दुगनी भूमि दिलवाई जावे गेरसायलान का कथन उचित प्रतीत होता है क्योकि सायलान का रास्ता दिये जाने के लिये गेरसायलान के हितों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा सायलान ने गैरसायलान के कथनो का विरोध भी नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान व गैरसायलान एक दुसरे के खेत पडोसी है तथा स्वीकृत एव चालू रास्ता ओर सायलान की भूमि के मध्य गैरसायलान की भूमि है सायलान अपनी भूमि मे पहुचने के लिये गेरसायलान की भूमि के किला न0 4 ,7 में रास्ता चाहा गया है सायलान गैरसायलान की भूमि के किला न0 4 ,7 में दक्षिण दिशा के बजाय पूर्व दिशा में रास्ता पाने के अधिकारी है ताकि गैरसायलान की भूमि के टुकडे भी ना हो सके तथा रास्ते के बदले में गैरसायलान को 4 बिश्वा भूमि दिलवाई जानी भी न्यायोचित है अतः प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान गैरसायालान की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मैं दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 5 के0एम के खाता संख्या 16/13 के प0न0 218/400(30) के किला न0 4 व 7 के पूर्व साईड में उतर से दक्षिण एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में जितनी भूमि आती है के बदले में सायलान रास्ते की भूमि को छोडते हुए गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए किला न0 7 ,8 मे दुगनी भूमि देगे इसी अनुसार राजसव रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व (44/24)/2024/583 दिनांक 20/05/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 44 सन 2024 निर्णय दिनांक 19/05/2025

अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. भादरराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. मूलाराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रूपराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. रामेश्वरी पुत्री जोतराम पत्नी रजीराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मामकोरी उर्फ अनिता पुत्री जोतराम पत्नी आईदान जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर

असल गैरसायल

7. बंशीलाल पुत्र गोमन्दराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 5 के0एम के खाता संख्या 16/13 के प0न0 218/400(30) के किला न0 4 व 7 के पूर्व साईड में उतर से दक्षिण एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में जितनी भूमि आती है के बदले में सायलान रास्ते की भूमि को छोडते हुए गैरसायलान की भूमि के चिपते हुए किला न0 7 ,8 मे दुगनी भूमि देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:10:46 IST
Reason: SelfAttested